राष्ट्रीय शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण बिन्दु एवं नवाचार

भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने डॉ. के कस्तूरीरंगन जी की अध्यक्षता में तैयार राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 29 जुलाई 2020 को लागू करते हुए यह कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 महज एक सर्कुलर नहीं है, बल्कि एक महायज्ञ है, जो नये देश की नींव रखेगा। इसका उद्देश्य शिक्षा को उत्कृष्ट बनाना और भारत को वैश्विक स्तर पर ज्ञान के क्षेत्र में महाशक्ति बनाना, भारत की प्राचीन समृद्ध ज्ञान परंपरा से शिक्षा को जोड़ना, मातृभाषा को महत्व देना, विद्यार्थी को आधुनिक तकनीक से जोड़ना, शिक्षा के साथ ही विद्यार्थियों का कौशल संवर्धन करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य छात्रों को 'ग्लोबल सिटीजन' बनाना भी है। शिक्षा को ज्ञान मूलक के साथ रोजगार परक बनाना तथा विद्यार्थियों को जिम्मेदार और मानवीयता से परिपूर्ण नागरिक बनाना भी है।

मध्यप्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का अग्रणी राज्य है। राज्यपाल, माननीय मंगुभाई जी पटेल, माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज जी चौहान, और उच्च शिक्षा माननीय मंत्री माननीय डॉ. मोहन जी यादव द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विधिवत उद्घाटन दिनांक 28 अगस्त 2021 को किया गया। सत्र 2021-22 से मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई। उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रदेश के समस्त शासकीय और निजी महाविद्यालयों में क्रियान्वित की गई है।

मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग विद्यार्थियों के समग्र तथा सर्वांगीण विकास हेतु कृत संकल्पित है। मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सफल क्रियान्वयन हेतु माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में 23 सदस्यीय टास्क फोर्स, 4 सदस्यीय शीर्ष समिति तथा आयुक्त, उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में समन्वय प्रकोष्ठ का गठन किया गया। मध्यप्रदेश में लागू राष्ट्रीय शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नानुसार हैं -

1. चयन आधारित क्रेडिट सिस्टम

च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम पर आधारित स्नातक पाठ्यक्रम चार वर्षीय होगा। इस सिस्टम में किसी भी संकाय में प्रवेशित विद्यार्थी को अपने संकाय से एक मुख्य विषय (Major) एक गौण विषय (Minor) एक वैकल्पिक विषय (Open Elective) के साथ एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम (कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम) का चयन करने की स्वतंत्रता होगी। इसके साथ ही फील्ड प्रोजेक्ट्स / इंटर्नशिप/ शिक्षुता/ प्रशिक्षुता, सामुदायिक जुड़ाव और सेवा (Field Projects / internship/ apprenticeship/Community Engagement & Services) का अध्ययन करना होगा।

2. बहुविषयक शिक्षा

वैकल्पिक विषय का चयन करते समय विद्यार्थियों को यह सुविधा प्रदान की गई है कि वे अपने मूल संकाय से अथवा किसी अन्य संकाय से (महाविद्यालय में उपलब्धता के अनुसार) भी अपनी रूचि अनुसार Open Elective Course का चयन कर सकते हैं।

विद्यार्थियों को अपनी रुचि अनुसार विषय चयन की स्वतंत्रता होगी। उदाहरण के लिये यदि विज्ञान संकाय का विद्यार्थी अपने मुख्य विषय के साथ संगीत या साहित्य विषय का अध्ययन करना चाहता है, तो वह Open Elective यानी वैकल्पिक विषय के अन्तर्गत अपनी अभिरुचि अनुसार विषय का अध्ययन कर सकेगा।

3. बहुआगमन एवं निर्गमन

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में स्नातक स्तर पर बहुआगमन और निर्गमन का प्रावधान रखा गया है। किन्हीं विशेष परिस्थितियों में यदि विद्यार्थी की पढ़ाई बीच में रह जाए तो अध्ययन अंतराल के बाद जब वह पुनः अपनी पढ़ाई जारी करेगा तो पूर्व पढ़ाई का लाभ उसे मिल जायेगा। विद्यार्थी द्वारा पाठ्यक्रम छोड़ने / संस्था परिवर्तित करने/ विश्वविद्यालय परिवर्तित करने पर उनके द्वारा तत्समय तक अर्जित क्रेडिट यथावत बने रहेंगे।

स्नातक प्रथम वर्ष में कुल क्रेडिट 40 होंगे। यदि कोई विद्यार्थी एक वर्ष में 40 क्रेडिट अर्जित कर लेते हैं तो उसे सर्टिफिकेट प्राप्त करने की पात्रता होगी। दो वर्षों के अध्ययन के पश्चात 80 क्रेडिट अर्जित करने पर डिप्लोमा तथा तृतीय वर्ष में 120 क्रेडिट अर्जित करने पर डिग्री प्राप्त करने की पात्रता होगी। स्नातक चतुर्थ वर्ष में विद्यार्थी को 160 क्रेडिट प्राप्त होने पर बैचलर विथ रिसर्च / ऑनर्स की पात्रता होगी। स्नातक प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ वर्ष के प्रारंभ में प्रवेश तथा प्रत्येक वर्ष में निर्धारित 40 क्रेडिट अर्जित करने के उपरांत विद्यार्थी को प्रस्थान की पात्रता होगी।

4. परिणाम आधारित शिक्षा एवं पाठ्यक्रम

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्लास रूम टीचिंग के साथ ही व्यावसायिक शिक्षा भी प्रदान की जोयगी। महज किताबी ज्ञान देना इस शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य नहीं होगा। रटन्त प्रवृत्ति को समाप्त करने के साथ विद्यार्थियों में विषय की गहरी समझ विकसित करने का प्रयास किया जायेगा। विद्यार्थियों की रचनात्मक सोच और तार्किक क्षमता बढ़ाने और उनमें निर्णय लेने तथा नवाचार की भावना को विकसित करने का उपक्रम यह पाठ्यक्रम करेगा। विषय के प्रति विद्यार्थी की अवधारणात्मक सोच बढ़ाने वाले पाठ्यक्रम से परिणाम आधारित शिक्षा को बल मिल सकेगा और विद्यार्थी को इस परिणाम आधारित शिक्षा से अपनी मौलिक सोच और रचनात्मकता को प्रकट करने का

अवसर मिल सकेगा। विद्यार्थियों की ड्राप आउट संख्या घटेगी। भविष्य में शत-प्रतिशत इनरोलमेंट के लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकेंगे।

5. भारत की समृद्ध ज्ञान परंपरा से युक्त समावेशी शिक्षा

भारत की समृद्ध और अक्षुण्य ज्ञान परंपरा को प्रत्येक विषय के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। इसका उद्देश्य विद्यार्थी को भारत की समृद्ध ज्ञान परंपरा से जोड़ना है तथा इस ज्ञान परंपरा का आधुनिक संदर्भों में उपयोग करना राष्ट्रीय शिक्षा नीति का महत्वपूर्ण बिन्दु है। प्रदेश के पाठ्यक्रमों में प्राचीन भारतीय ज्ञान संपदा को शामिल करके राष्ट्रीय और प्रादेशिक स्तर के वैज्ञानिकों, इतिहासकारों, समाजशास्त्रियों साहित्यिकारों और राजनीतिज्ञों के योगदानों का भी अध्ययन और अध्यापन किया जायेगा।

6. व्यावसायिक शिक्षा का समावेश

विभाग द्वारा जो नवाचार किये गये है उसमें एक नई पहल यह भी है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मुख्य उद्देश्य की प्रतिपूर्ति हेतु शिक्षा को कौशल संवर्धन के साथ जोड़कर पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया है। इसमें रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों के साथ-साथ व्यावसायिक शिक्षा को भी पाठ्यक्रम का अंग बनाया गया है।

7. योग्यता संवर्धन

इस नीति में विद्यार्थी की योग्यता का संवर्धन होगा। हिन्दी और अंग्रेजी भाषा के साथ-साथ पर्यावरण अध्ययन, स्टार्टअप्स के साथ संगीत, शिल्प, खेल, योग, व्यक्तित्व विकास, चरित्र निर्माण जैसे कोर्सेस को भी पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। निश्चित ही इन कोर्सेस का अध्ययन करके विद्यार्थी की योग्यता का संवर्धन हो सकेगा।

8. अकादमिक लचीलापन

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक सशक्त बिन्दु इसका लचीलापन है। जिसकी वजह से अब विज्ञान, वाणिज्य और कला संकाय के बीच जो गहरी विभाजक सीमा रेखा थी, वह टूटी है। अब विद्यार्थी के पास मिश्रित चयन की सुविधा है। विद्यार्थी अपने मूल संकाय के अतिरिक्त किसी अन्य संकाय से भी विषय का चयन कर सकता है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रारंभ में कला संकाय से 25, विज्ञान संकाय से 20, वाणिज्य संकाय से 05 तथा अन्य संकाय से एन.सी.सी., एन.एस.एस. और शारीरिक शिक्षा जैसे विषयों के चयन का अवसर प्रदान किया गया है।

9. ऑनलाइन अध्ययन सुविधा

विद्यार्थियों को ऑनलाइन पाठ्यक्रम स्वयं के संसाधन से पूर्ण करने का विकल्प रहेगा। यह भी एक नवाचार है जिसके अंतर्गत विद्यार्थी भारत सरकार के SWAYAM पोर्टल / मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन पाठ्यक्रम स्वयं के संसाधनों से पूर्ण कर सकते हैं।

नवाचार -

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के साथ कौशल विकसित करना है। इसलिये व्यावसायिक विषयों पर विद्यार्थियों का फील्ड प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप और एप्रेन्टिसशिप तथा कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड सर्विस को शामिल किया गया है। इसके माध्यम से कृषि, औद्योगिक नीति, कुटीर एवं ग्रामोद्योग और

उद्यानिकी आदि से विद्यार्थियों को जोड़ा जायेगा, ताकि विद्यार्थी शिक्षा के साथ रोजगार प्राप्त करने में सक्षम हो सकेंगे। इस तरह से मध्यप्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार किया गया है।

हमारा मध्यप्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला प्रथम राज्य है। शिक्षा ही विकास की वाहिका है। शिक्षा के क्षेत्र में किये गये नवाचार न केवल शिक्षा को गुणवत्ता बढ़ायेगें अपितु विद्यार्थी के शैक्षणिक ज्ञान के साथ उसके शारीरिक, मानसिक, नैतिक विकास में सहायक होंगे। कौशल का भी विकास करेगें। इस तरह शिक्षा विद्यार्थी का एकमुखी नहीं बहुमुखी विकास करेगी। विद्यार्थी को केन्द्र में रखकर बनाई गयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत अध्ययन करने वाले विद्यार्थी दबावों से मुक्त होकर अपनी-अपनी अभिरूचि और क्षमतानुसार विषय चयन करके शिक्षित होंगे, रोजगार प्राप्त करेगें और मूल्यों से संपृक्त होकर सच्चे अर्थों में अच्छे और संवेदनशील तथा जिम्मेदार नागरिक बन सकेंगे।

अकादमिक संरचना : विस्तृत विवरण

उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रदेश के समस्त राज्य / निजी विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में नवीन अकादमिक संरचना निम्नानुसार होगी -

स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने के लिये इच्छुक विद्यार्थी को एक संकाय का चयन करना होगा। इस चुनाव के लिये संकाय विशेष के संदर्भ में पूर्व पात्रता (Pre Requisite) निर्धारित है।

1. मुख्य विषय (Major Subject)

विद्यार्थी को प्रवेशित अपने संकाय से एक मुख्य (Major) विषय का चयन करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक संकाय के विद्यार्थी के द्वारा लिए गए तीन विषयों में से एक विषय वह मुख्य विषय के रूप में पढेगा। मुख्य विषय के दो प्रश्न पत्र होंगे। भविष्य में स्नातकोत्तर करने के लिए वह इस मुख्य विषय में पात्र होगा। अतः मुख्य विषय का चयन विद्यार्थी को आगामी भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपने पालक अभिभावक से विचार विमर्श करके ही चयन करना चाहिए।

2. गौण विषय (Minor Subject)

विद्यार्थी को प्रवेशित (मूल) संकाय से ही गौण Minor विषय का चयन करना अनिवार्य होगा। मुख्य विषय के चयन के पश्चात शेष दो विषय में से अपनी ही संकाय के एक विषय का चयन गौण या माइनर विषय के रूप में करना है। गौण विषय के रूप में चयनित विषय के अध्ययन के लिए संबंधित मुख्य विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र का ही अध्ययन करना होगा।

3. वैकल्पिक विषय (Open Elective subject)

मुख्य एवं गौण विषय चयन के पश्चात अपने संकाय से जो तीसरा विषय शेष बचा है उसे वैकल्पिक विषय के रूप में चयन करें। वैकल्पिक विषय के रूप में चयनित विषय के अध्ययन के लिए संबंधित मुख्य विषय के द्वितीय प्रश्न पत्र का ही अध्ययन करना होगा। यदि विद्यार्थी तीसरे विषय के रूप में अपने संकाय का वैकल्पिक विषय नहीं

पढ़ना चाहता है तो विद्यार्थी को यह सुविधा दी गई है कि वह अपने संकाय के अतिरिक्त किसी अन्य संकाय के सामान्य वैकल्पिक विषय का चयन कर सकता है।

विद्यार्थी द्वारा चयनित मुख्य या गौण विषय से संबंधित वैकल्पिक विषय को चुनने की पात्रता नहीं होगी। प्रत्येक संकाय के सामान्य वैकल्पिक विषयों की सूची पोर्टल पर प्रदर्शित की गई है, जिसमें से विद्यार्थी अपनी रुचि एवं योग्यता के अनुसार किसी एक विषय का चयन कर सकेगा।

इसके अतिरिक्त विद्यार्थी वैकल्पिक विषय के रूप में एन.सी.सी., एन.एस.एस. एवं शारीरिक शिक्षा का भी चयन कर सकता है, यदि प्रवेशित महाविद्यालय में एन.सी.सी., एन.एस.एस. इकाई संचालित हो। कला और वाणिज्य के एकल संकाय महाविद्यालयों में विज्ञान संकाय में विषय चुनने का विकल्प उपलब्ध नहीं होगा।

सामान्य वैकल्पिक विषय (Generic Elective Subject)

कला संकाय

1.	मध्यप्रदेश के लोक नृत्यों का सामान्य परिचय	2.	धन और बैंकिंग का अर्थशास्त्र	3.	भारतीय अर्थव्यवस्था-एक परिचय
4.	संगठनात्मक व्यवहार	5.	कम्युनिकेटिव अंग्रेजी	6.	भौतिक भूगोल
7.	पर्यावरणीय मुद्दे और आपदा प्रबंधन	8.	हिन्दी अनुप्रयोग और विज्ञापन व्यवसाय	9.	भारत में विरासत प्रबंधन
10.	भारत का संवैधानिक इतिहास	11.	चिकित्सा और स्वास्थ्य पर्यटन	12.	रंगाई और छपाई
13.	बाल अधिकार और महिला सशक्तिकरण	14.	भारतीय संगीत का सामान्य अध्ययन	15.	मध्यप्रदेश की संगीत विरासत
16.	श्री रामचरित मानस का दार्शनिक चितंन	17.	लोक प्रशासन : सिद्धांत एवं व्यवहार	18.	भारतीय राजनीतिक व्यवस्था
19.	भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन	20.	समाजशास्त्र का परिचय	21.	भारत का समाजशास्त्र
22.	मध्य प्रदेश में उर्दू ग़ज़ल	23.	उर्दू जबान और मुख़्तलिफ़ असनाफ़	24.	प्राथमिक उपचार, नर्सिंग और हाइजीन
25.	हाउस कीपिंग एण्ड हॉस्पिटेलिटी मैनेजमेन्ट	26.	भगवद गीता का वर्तमान संदर्भ		

विज्ञान संकाय					
1.	हर्बल प्रसाधन सामग्री	2.	नर्सरी प्रबंधन	3.	दैनिक जीवन में रसायन शास्त्र
4.	औषधीय रसायन के मूल सिद्धांत	5.	कम्प्यूटर फंडामेंटल	6.	एमएस ऑफिस
7.	मल्टी मीडिया और एनिमेशन	8.	स्प्रेडशीट के माध्यम से डेटा विश्लेषण और विज़ुअलाइज़ेशन	9.	भूविज्ञान के तत्व
10.	खनिज और चट्टानें	11.	रंगाई और छपाई	12.	बाल अधिकार और महिला सशक्तिकरण
13.	लॉजिक और सेट	14.	मैट्रिक्स, ज्यामिति और वेक्टर बीजगणित	15.	गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधन
16.	मानव रोग	17.	मधुमक्खी पालन	18.	रेशम उत्पादन
19.	प्राथमिक उपचार, नर्सिंग और हाइजीन	20.	हाउस कीपिंग एण्ड हॉस्पिटेलिटी मैनेजमेन्ट		

वाणिज्य संकाय					
1.	व्यवसाय अध्ययन के आधारभूत सिद्धांत	2.	लेखांकन का मूल सिद्धांत	3.	भारत में बैंकिंग संस्थाएं
4.	मुद्रा एवं बैंकिंग	5.	व्यवसायिक संगठन एवं प्रबंधन		

अन्य वैकल्पिक विषय					
1.	एन.सी.सी.	2.	एन.एस.एस.	3.	शारीरिक शिक्षा

वैकल्पिक विषय का चयन				
आवंटित संकाय	**आवंटित समूह**	**मुख्य**	**गौण**	**वैकल्पिक विषय**
विज्ञान	गणित / बायो समूह	गणित/ बायो समूह	गणित/ बायो समूह	गणित / बायो समूह से अथवा सामान्य वैकल्पिक - वाणिज्य / कला/ अन्य
वाणिज्य	वाणिज्य	वाणिज्य	वाणिज्य	वाणिज्य के 8 वैकल्पिक अथवा सामान्य वैकल्पिक - कला / अन्य/ विज्ञान (अगर विज्ञान संकाय संचालित है तो)
कला	कला	विषय - 1	विषय - 2	कला संकाय से वैकल्पिक विषय अथवा सामान्य वैकल्पिक - वाणिज्य / अन्य / विज्ञान (यदि महाविद्यालय में विज्ञान संकाय संचालित हो तो

आवंटित संकाय	**आवंटित समूह**	**मुख्य**	**गौण**	**वैकल्पिक विषय**	**रिमार्क**
विज्ञान	भौतिकी रसायन गणित	भौतिकी	रसायन	गणित अथवा सामान्य वैकल्पिक - वाणिज्य / कला/ अन्य	विज्ञान विषय का ओपन इलेक्टिव नहीं लेना है।
विज्ञान	भौतिकी रसायन कम्प्यूटर साईस	भौतिकी	रसायन	कम्प्यूटर विज्ञान अथवा सामान्य वैकल्पिक - वाणिज्य / कला / अन्य	कम्प्यूटर विषय का ओपन इलेक्टिव नहीं लेना है।
रसायन	रसायन	मुख्य 1 और 2 (अनिवार्य)	गौण (अनिवार्य)	वाणिज्य के 8 वैकल्पिक अथवा सामान्य वैकल्पिक - कला / अन्य/ विज्ञान (अगर विज्ञान संकाय संचालित है तो)	वाणिज्य संकाय हेतु 8 ओपन इलेक्टिव निर्धारित किए गए है। छात्रों द्वारा वाणिज्य के केवल 8 OE लिया जाना है अथवा अन्य संकाय के OE से लेना है।
कला	तीन विषयों का समूह	विषय - 1	विषय - 2	कला संकाय से विषय-3 अथवा सामान्य वैकल्पिक - वाणिज्य / अन्य/ विज्ञान (अगर विज्ञान संकाय संचालित है तो)	कला संकाय के सामान्य वैकल्पिक विषयों का चयन नहीं करना है।

9. परियोजना कार्य (Project Work)

नवीन अकादमिक संरचना में परियोजना कार्य एक महत्वपूर्ण अंग है। परियोजना कार्य आधारित शिक्षण, विद्यार्थी के व्यक्तिगत अथवा समूह में रहकर (अनुसंधान गतिविधियों का संयोजन है, जिससे विद्यार्थी) फील्ड स्टडी के माध्यम से न सिर्फ अनुसंधान करना सीखता है अपितु समूह में एक साथ घनिष्ठ रूप में कार्य करना भी सीखता है। महाविद्यालय के बाहर के फील्ड स्टडी/ केस स्टडी के अनुभव विद्यार्थियों के लिए अमूल्य है। परियोजना कार्य के माध्यम से, विद्यार्थियों में समूह-अनुसंधान गतिविधियों के अलावा स्वप्रबंधन, लोकतांत्रिक राय निर्माण, सामूहिक निर्णय लेने की क्षमता में अभिवृद्धि होती है।

संक्षिप्त जानकारी

- **प्रगति प्रतिवेदन :** विद्यार्थियों द्वारा तीन प्रगति प्रतिवेदन प्रारूप (Annex-P1, P2, P3) में देना होगा, जिसके आधार पर संबंधित शिक्षक सतत् मूल्यांकन का कार्य करेंगे.
- **परियोजना रिपोर्ट :** स्वहस्तलिखित न्यूनतम 5000 शब्दों में प्रस्तुत करना होगी. प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आवश्यकतानुसार, चार्ट, ग्राफ, फोटोग्राफ आदि का प्रयोग करना होगा
- **मौलिकता :** परियोजना कार्य किसी भी रूप में नकल पर आधारित नहीं होगा। विद्यार्थियों को यह प्रमाण पत्र भी रिपोर्ट के साथ देना होगा कि प्रस्तुत परियोजना रिपोर्ट उनका मौलिक कार्य है.
- **अंकों का विभाजन :** आंतरिक (सतत) एवं बाह्य मूल्यांकन में अंकों का विभाजन क्रमशः 50-50 अंकों का होगा.

10. प्रशिक्षुता (Internship) एवं शिक्षुता (Apprenticeship)

प्रदेश के विद्यार्थियों को सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यावसायिक व व्यावहारिक ज्ञान देने के लिए नवीन अकादमिक संरचना में शिक्षुता / प्रशिक्षुता एक प्रमुख अवयव है। प्रशिक्षुता एवं शिक्षुता पाठ्यक्रम को विद्यार्थी किसी संस्था / फर्म/ व्यावसायिक संगठन / व्यक्ति के साथ रहकर पूर्ण करता है तथा निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने के पश्चात् संस्था / फर्म / व्यावसायिक संगठन / व्यक्ति द्वारा उसे इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जाता है, जिसके आधार पर उसका मूल्यांकन किया जाता है।

संक्षिप्त जानकारी

- **अनुमति :** प्राचार्य एवं शिक्षकगण यह सुनिश्चित करेंगे कि विद्यार्थी शिक्षुता/ प्रशिक्षुता पाठ्यक्रम के लिए जिस संस्था/ व्यक्ति के पास जा रहा है वो प्रतिष्ठित, स्तरीय व वैधानिक है तथा शिक्षुता/ प्रशिक्षुता कार्यक्रम का निष्पादन करने के लिये सक्षम है।
- **प्रारम्भिक रिपोर्ट :** प्राथमिक चरण कार्य की प्रारंभिक रुपरेखा, कार्यक्षेत्र, संस्थान की जानकारी आदि (Annex–A1) में प्रस्तुत करना होगा।
- **अंतिम रिपोर्ट :** शिक्षुता/ प्रशिक्षुता कार्य की अंतिम रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र (Annex– A2) में प्रस्तुत करना होगा।

- **प्रतिपुष्टि प्रपत्र :** कार्य उपरांत शिक्षुता पाठ्यक्रम में संबंधित संस्था/ व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराये गए प्रतिपुष्टि प्रपत्र (Feedback Form) के आधार पर ही विद्यार्थी का आंतरिक मूल्यांकन किया जायेगा, जो कि कुल अंक का 50 प्रतिशत होगा।
- विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट स्वहस्तलिखित, न्यूनतम 2000 शब्दों की होनी चाहिए, आवश्यकतानुसार ग्राफ, फोटोग्राफ, चार्ट आदि का समावेश किया जाना चाहिए।

11. सामुदायिक जुड़ाव / सेवा कार्य

इस क्षेत्र में कार्य करने को इच्छुक विद्यार्थी किसी स्थानीय प्रतिष्ठित स्वयंसेवी / मान्यता प्राप्त गैर शासकीय संगठन के साथ जुड़कर किसी सकारात्मक सामाजिक सरोकार जैसे प्रौढ़ शिक्षा, बाल मजदूरी,अनाथ आश्रम प्रबंधन, वृद्धाश्रम, जलसंरक्षण आदि के संदर्भ में सेवा कार्य कर सकेंगे।

संक्षिप्त जानकारी

- विद्यार्थी निर्दिष्ट मानदण्डों के अनुरूप कार्य व संस्था का नाम/ विवरण प्रभारी शिक्षक को प्रस्तुत करेंगे.
- **कार्य व स्वरूप की रूपरेखा :** प्रस्तावित कार्य व स्वरूप की रूपरेखा व लक्षित प्रतिफल का विवरण भी शिक्षक को प्रस्तुत करेंगे। (Annex – C1).
- **अंतिम विस्तृत रिपोर्ट व अनुशंसाएं :** स्व-हस्तलिपि में फोटोग्राफ्स सहित निर्धारित प्रपत्र (Annex– C2) में जमा करेगा, सम्बंधित सहयोगी/ मार्गदर्शक संस्था की मूल्यांकन रिपोर्ट संलग्न करना अनिवार्य है।
- **संभावित क्षेत्र :** सकारात्मक सामाजिक सरोकार जैसे प्रौढ़ शिक्षा, बाल मजदूरी, अनाथ आश्रम प्रबंधन, वृद्धाश्रम, जलसंरक्षण आदि के संदर्भ में सेवा कार्य कर सकेंगे।
- **अति आवश्यक :** संस्था किसी धार्मिक, जातिगत अथवा राजनैतिक रूप से पूर्णतः निरपेक्ष हो, किसी सम्प्रदाय अथवा विशिष्ट राजनैतिक विचारधारा से अभिप्रेरित न हो, किसी वैधानिक स्तर पर चिन्हित व सत्यापित हो।
- एन.जी.ओ. के पंजीकरण की जानकारी ngodarpan.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।

राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा 1258 ग्रामों को गोदग्राम के रूप में चिन्हित किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थी को परियोजना कार्य / शिक्षुता / प्रशिक्षुता/सामुदायिक जुड़ाव में से किसी एक का चयन कर उसका प्रतिवेदन तैयार करना है। इस सम्बध में सामुदायिक जुड़ाव के अतर्गत महाविद्यालायों के विद्यार्थी स्थानीय एनजीओ के साथ जुड़ कर गोद ग्राम के अंतर्गत निर्धारित की गई कार्य योजना को दृष्टिगत रखते हुए अपना प्रतिवेदन तैयार कर सकते हैं ।

पाठ्यक्रम संरचना –

विद्यार्थी जिन विषयों का चयन करना चाहते है, उसका पाठ्यक्रम उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट www.highereducation.mp.gov.in पर नवीन पाठ्यक्रम पर देखे।

पाठ्यक्रम – विभाजन

खण्ड अ - सामान्य जानकारी एवं लर्निंग आउटकम

इसमें पाठ्यक्रम की सामान्य जानकारी है - पाठ्यक्रम का कोड, पाठ्यक्रम का शीर्षक, उसका प्रकार जैसे- मुख्य विषय/वैकल्पिक सामान्य वैकल्पिक/व्यावसायिक इत्यादि की जानकारी है। इसके पश्चात् पूर्वापेक्षा में उस विषय को पढ़ने के लिए अपेक्षित योग्यता अर्हता क्या है? उसका विवरण दिया गया है।

पाठ्यक्रम अध्ययन की परिलब्धियॉ (लर्निंग आउटकम) – राष्ट्रीय शिक्षा नीति का यह बहुत महत्वपूर्ण अंग है। इसमें बताया गया है कि इस विषय के अध्ययन करने से विद्यार्थी क्या सीखेगा? इसकी उसके जीवन में क्या उपयोगिता है? इस विषय में रोजगार की क्या सम्भावनाएं है ? इसके अध्ययन से वह कौन सा कौशल अर्जित करेगा? इस लर्निंग आउटकम के आधार पर ही विद्यार्थी का मूल्यांकन किया जाएगा।

क्रेडिट अंक –

क्रेडिट - क्रेडिट से तात्पर्य अध्ययन के घण्टों से है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रत्येक प्रश्नपत्र के अध्ययन के घण्टे निश्चित किए गए है। जिन्हें क्रेडिट कहा जाता है। 15 घण्टे का अध्ययन 1 क्रेडिट माना जाता है। अर्थात 15 व्याख्यान पर एक क्रेडिट होता है। एक सत्र में कुल 180 कार्यदिवस अध्यापन होता है।

- 6 क्रेडिट के सैद्धान्तिक प्रश्नपत्र में 1 घण्टे के मान से सप्ताह में 3 व्याख्यान तथा कुल 90 व्याख्यान होंगे।

- 4 क्रेडिट के सैद्धान्तिक/पाठयक्रम में 1 घण्टे के मान से सप्ताह में 2 व्याख्यान तथा कुल 60 व्याख्यान होंगे।
- 2 क्रेडिट में सैद्धान्तिक/पाठयक्रम में 1 घण्टे के मान से सप्ताह में 3 व्याख्यान तथा कुल 30 व्याख्यान होंगे।

जिन विषयों में सैद्धांतिक प्रश्नपत्रों के साथ प्रायोगिक कार्य होता है, उनमें सैद्धांतिक प्रश्नपत्र 4 क्रेडिट का और प्रायोगिक प्रश्न पत्र 2 क्रेडिट का होगा।

कुल अंक – इस विषय में सैद्धान्तिक तथा प्रायोगिक अधिकतम अंक कितने होगें ? इसका विवरण दिया गया है इस विषय में सैद्धान्तिक तथा प्रायोगिक न्यूनतम उत्तीर्णांक अंक कितने होगें ? इसका विवरण दिया गया है।

खण्ड ब - पाठ्यक्रम की विषय वस्तु

इस भाग में प्रश्न पत्र की इकाई वार विषयवस्तु है। जिसमें प्रति सप्ताह व्याख्यानों की संख्या दी गई है। कुल व्याख्यान कितने होंगे। इसके बाद इकाईवार विषय का पाठ्यक्रम तथा वह कितने व्याख्यान में पूरा होगा, यह भी दिया गया है। सार बिन्दु के रूप में की वर्ड दिए गए है, जिससे विषयवस्तु को छात्र इंटरनेट पर सर्च करके पढ़ सकते हैं। इसका ज्ञान विद्यार्थी के लिए अपेक्षित है।

भाग स - अनुशंसित अध्यापन के संसाधन

इस भाग में संबन्धित प्रश्नपत्र के अध्ययन के लिए जिन पुस्तकों में सामग्री उपलब्ध होगी, उन संदर्भ ग्रंथों की सूची है। लेखक का नाम, पुस्तक का नाम, प्रकाशन तथा प्रकाशन वर्ष है। इसी में अनुशंसित वेबसाइट एवं डिजिटल सम्पर्क सूत्र के रूप में कई वेबसाइटों के लिंक दिए गए हैं, जिससे संबंधित पाठ्यक्रम की पाठ्यसामग्री आप इन्टरनेट से खोज कर पढ़ सकते हैं।

भाग द - मूल्यांकन विधि – मूल्यांकन 02 प्रकार से होगा –

1. आंतरिक मूल्यांकन - इसे सतत व्यापक मूल्यांकन सी.सी.ई. कहते हैं।

2. बाह्य मूल्यांकन - विश्वविद्यालय द्वारा वार्षिक परीक्षा के माध्यम से बाह्य मूल्यांकन होगा।

प्रत्येक सैद्धातिक एवं प्रायोगिक प्रश्नपत्र 100 अंकों का होगा। सैद्धांतिक प्रश्नपत्रों में 30 अंक आंतरिक मूल्यांकन एवं 70 अंक विश्वविद्यालयीन बाह्य मूल्यांकन परीक्षा के होंगे।

ग्रेड कार्ड -

वार्षिक परीक्षा AGPA (Annual Grade Point Average) तथा अंतिम परीक्षा परिणाम CGPA (Cumulative Grade Point Average) के रूप में होगा।

छात्र को प्रमाण पत्र/डिप्लोमा/डिग्री के लिए न्यूनतम अपेक्षित क्रेडिट सफलतापूर्वक अर्जित करने पर प्रमाण पत्र/डिप्लोमा/डिग्री प्रदान की जाएगी।

प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष/सेमेस्टर के बाद अर्जित ग्रेड के आधार पर सभी छात्रों को ग्रेड कार्ड जारी किए जाएंगे। उस शैक्षणिक वर्ष तक अर्जित सीजीपीए के साथ प्रत्येक वर्ष/सेमेस्टर में प्राप्त एजीपीए/एसजीपीए और पाठ्यक्रम विवरण (कोड, शीर्षक, क्रेडिट की संख्या, ग्रेड) को ग्रेड कार्ड में प्रदर्शित किया जाएगा।

Letter Grade	Grade Points	Description	Range of Marks (%)
O	10	Outstanding	90-100
A+	9	Excellent	80-89
A	8	Very good	70-79
B	7	Good	60-69
B+	6	Above Average	50-59
C	5	Average	40-49
P	4	Pass	35-39
F	0	Fail	0-34
AB	0	Absent	Absent

एनुअल ग्रेड पॉइंट एवरेज(एजीपीए) की गणना

Course	Credits (C)	Grade	Grade Point (GP)	Credit Points (C x GP)	AGPA (Total Credit Point / Total Credit)
Course 1	6	A	8	48	276/40 = 6.90 Annual Grade Point Average (वार्षिक ग्रेड प्वाइंट औसत -एजीपीए), एक वर्ष में छात्र के प्रदर्शन की गणना है।
Course 2	6	C	5	30	
Course 3	6	B+	7	42	
Course 4	6	O	10	60	
Course 5	4	B	6	24	
Course 6	4	P	4	16	
Course 7	4	A+	9	36	
Course 8	4	C	5	20	
TOTAL	40		-	276	

क्युमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज (सीजीपीए) की गणना

Year	Credits	AGPA	Credits x AGPA	CGPA
1	40	7.50	300.00	
2	40	7.58	303.20	
3	40	7.32	292.80	
4	40	8.34	333.60	
Total	**160**		**1229.60**	

$$CGPA = \frac{\text{Total (Credits x AGPA)}}{\text{Total Credits}}$$

CGPA = 1229.60 / 160
= 7.685
= 7.69 (roundoff)

समस्त वर्ष में छात्र के द्वारा पूर्ण किए गए समस्त पाठ्यक्रमों के क्रेडिट का योग है।

वर्षवार प्रश्नपत्रों की संख्या एवं क्रेडिट

I- स्नातक स्तर

चार वर्ष में कुल क्रेडिट (40+40+40+40) = 160

अ.	प्रथम वर्ष	:	40
ब.	द्वितीय वर्ष	:	40
स.	तृतीय वर्ष	:	40
द.	चतुर्थ वर्ष	:	40

II- प्रथम वर्ष

विषय 1 :	मुख्य विषय	(MJR)	6 x 2 = 12
विषय 2 :	गौण विषय	(MNR)	6 x 1 = 06
विषय 3 :	वैकल्पिक विषय	(OEC)	6 x 1 = 06
कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम	व्यावसायिक पाठ्यक्रम	(SEC)	4 x 1 = 04
योग्यता संवर्धन पाठ्यक्रम	आधार पाठ्यक्रम	(AEC)	4 x 2 = 08
फील्ड प्रोजेक्ट/इंटर्नशिप/शिक्षुता/सामुदायिक जुड़ाव और सेवा		(FS)	4 x 1 = 04
			कुल 40

III- द्वितीय वर्ष

विषय 1 :	मुख्य विषय	(MJR)	6 x 2 = 12
विषय 2 :	गौण विषय	(MNR)	6 x 1 = 06
विषय 3 :	वैकल्पिक विषय	(OEC)	6 x 1 = 06
कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम	व्यावसायिक पाठ्यक्रम	(SEC)	4 x 1 = 04
योग्यता संवर्धन पाठ्यक्रम	आधार पाठ्यक्रम	(AEC)	4 x 2 = 08
फील्ड प्रोजेक्ट/इंटर्नशिप/शिक्षुता/सामुदायिक जुड़ाव और सेवा		(FS)	4 x 1 = 04
			कुल 40

IV- तृतीय वर्ष

विषय 1 :	मुख्य विषय	(MJR)	6 x 2 = 12
विषय 2 :	गौण विषय	(MNR)	6 x 1 = 06
विषय 3 :	वैकल्पिक विषय	(OEC)	6 x 1 = 06
कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम	व्यावसायिक पाठ्यक्रम	(SEC)	4 x 1 = 04
योग्यता संवर्धन पाठ्यक्रम	आधार पाठ्यक्रम	(AEC)	4 x 2 = 08
फील्ड प्रोजेक्ट/इंटर्नशिप/शिक्षुता/सामुदायिक जुड़ाव और सेवा		(FS)	4 x 1 = 04
			कुल 40

V- चतुर्थ वर्ष

विषय 1 :	मुख्य विषय	(MJR)	6 x 2 = 12
			4 x 2 = 08
विषय 2 :	शोध प्रविधि	(RM)	4 x 1 = 04
	गौण विषय/लघु शोध प्रबंध	(MNR)	4 x 1 = 04
	रिसर्च प्रोजेक्ट/इंटर्रशिप/शिक्षुता	(FS)	6 x 2 = 12
			कुल 40

VIII- Abbreviation (संक्षेपाक्षर) :

MJR : Major
MNR : Minor
OEC : Open Elective Course
SEC : Skill Enhancement Course
AEC : Ability Enhancement Course
RM : Research Methodology
RP : Research Project
FS : Field Studies

मुख्य विषय	- 56 Credits
गौण विषय	- 26 Credits
वैकल्पिक विषय	- 18 Credits
कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम	- 12 Credits
आधार पाठ्यक्रम	- 24 Credits
फील्ड प्रोजेक्ट / इंटर्रशिप / एप्रेन्टिसशिप/कम्यूनिटी इंगेजमेंट	- 24 Credits

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को एक नये आकाश एवं नयी उड़ान की सौगात मिली है। इस नीति के द्वारा अकादमिक लचीलेपन के परिणाम स्वरूप विद्यार्थी अपनी रूचि के अनुरूप विषयों के मिश्रित चयन की सुविधा का लाभ ले सकेंगे, साथ ही प्रतिवर्ष अर्जित क्रेडिट के अनुसार सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री भी प्राप्त कर सकेंगे। पाठ्यक्रमों में व्यावहारिक ज्ञान सम्मिलित किए जाने से विद्यार्थी की विषय संबंधी समझ भी विकसित होगी। वैकल्पिक विषय का चयन कर विद्यार्थी अपने संकाय से इतर अन्य संकाय के विषय का अध्ययन करने के लिए स्वतंत्र होंगे। वैकल्पिक विषयों के अंतर्गत एन.सी.सी., शारीरिक शिक्षा, एन.एस.एस. जैसे विषय विद्यार्थी के सर्वांगीन विकास के साथ उसे सामाजिक व राष्ट्रीय सरोकारों से जोड़ेंगे। भारतीय ज्ञान परंपरा को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने से विद्यार्थियों को जहाँ आत्म गौरव का बोध होगा, वहीं नवीन प्रेरणा भी मिलेगी।